पत्रांकः—वन भूमि—26 / 2023..................... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड,
राँची—834002

पटना—15, दिनांक..........................

विषय :— **सुपौल जिलान्तर्गत NH-327AD के सरायगढ़—गणपतगंज 0.00—10.672 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1799 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सुपौल जिलान्तर्गत NH-327AD के सरायगढ़—गणपतगंज 0.00—10.672 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1799 हे० भूमि अपयोजन का प्रस्ताव "कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, मधेपुरा" द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या—1441(ई०) दिनांक—15.11.1994 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है।

विषयांकित परियोजना में 0.1799 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 45 वृक्षों में से 01 वृक्ष का पातन एवं 44 वृक्षों का पुनर्स्थापन प्रस्तावित है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.75 अंकित किया गया है।

कुल—0.1799 हे० वन भूमि अपयोजन के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—11—43 / 2013—FC दिनांक—26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण—पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज—1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. 0.1799 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 13,57110 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,44,144/-(दो लाख चौवालीसं हजार एक सौ चौवालीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. परियोजना निर्माण के क्रम में हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू० 6,90,411/-(छः लाख नब्बे हजार चार सौ ग्यारह रूपये) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03 दिनांक-01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1492/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक :- वन भूमि-26/2023....................../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक....................................
प्रतिलिपि :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक :- वन भूमि-26/2023 5066 /प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक 18/07/2023
प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट-2 उपलब्ध कराया जाय।

18/7/2023
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

Van Bhumi:- 26/2023

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon).	The proposed diversion of 0.1799 ha. forest land for widening and strengthening of Saraigadh-Ganpatganj Road under Supaul District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Signature:- Sudhir Kumar

Date:- 18/7/2023

Name of Designation:- अपर सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार, पटना

Place:- PATNA

Official Seal:-